

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/1/28231/2015

जयपुर दिनांक : 27.01.2015

जिला कलक्टर

कोटा, बून्दी, राजसमंद, जोधपुर, चित्तौडगढ़, सीकर, भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड, बीकानेर।

विषय : जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु संवेतन मद में अति. बजट आवंटन बाबत।

जिला कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों हेतु संवेतन/यात्रा भत्ता मद में वर्ष 2014-15 हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है।

राशि लाखों में

क्र. संख्या	बजट मद	जिला कार्यालय	जिला कोड	अतिरिक्त बजट आवंटन	
				01- संवेतन	03- यात्रा भत्ता
1	3454-02-203-01-02 (आयोजना)	कोटा	23900	6.00	
		बून्दी	10500	4.50	
		राजसमंद	15207	3.20	
		जोधपुर	23897	5.00	0.23
		चित्तौडगढ़	23882	4.50	0.23
		सीकर	2965	7.80	
		भरतपुर	23878	2.40	0.25
		जैसलमेर	15795	3.00	
2	3454-02-789-01-03 (आयोजना)	झालावाड	23894	2.00	
		बीकानेर	18833	4.80	

उक्त व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

1. उपरोक्त अतिरिक्त आवंटन जिला मुख्यालय पर नियमित मासिक वेतन व्यय के आधार पर किया गया है, अतः वित्तीय वर्ष के अवशेष दो माह (जनवरी व फरवरी) का वेतन आहरण सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अवशेष उपलब्ध बजट , यदि हो तो, में से एरियर राशि आहरित करावें। संवेतन मद में अब कोई अतिरिक्त आवंटन सम्भव नहीं हो सकेगा।
2. व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
3. व्यय का समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संचारित किया जायेगा।
4. अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
5. मासिक व्यय की सूचना हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

(डा.दयासिन्धु शर्मा)
लेखाधिकारी

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
3. कोषाधिकारी कोटा, बून्दी, राजसमंद, जोधपुर, चित्तौडगढ़, सीकर, भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड, बीकानेर।
4. सुश्री सोनिया चतुर्वेदी प्रभारी अधिकारी जिला समन्वय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
5. श्रीमती दीपशिखा सक्सेना एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड करने

लेखाधिकारी